भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4464

20.03.2020 को उत्तर के लिए

ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन

4464. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री के. नवासखनी :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर :
श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में दर्ज विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन के रिकॉर्ड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनकी गिरावट-दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में देश में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने यह तर्क दिया है कि विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों को कम करने की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) में प्रस्तुत की गई भारत की द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-2) के अनुसार, वर्ष 2014 में भारत का कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2.607 बिलियन टन CO_2 समतुल्य था। वर्ष 2014 के कुल जीएचजी उत्सर्जनों में से ऊर्जा क्षेत्र 73%, कृषि क्षेत्र 16%, औद्योगिक प्रक्रियाएं और उत्पाद उपयोग (आइपीपीयू) 8% तथा अपशिष्ट क्षेत्र 3% के लिए जिम्मेदार था। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) क्षेत्र का अवशोषण निवल रहा था और इसने कुल उत्सर्जन में से 12% का अधिग्रहण किया। इस प्रकार, वर्ष 2014 में एलयूएलयूसीएफ को ध्यान में रखते हुए निवल जीएचजी उत्सर्जन 2.306 बिलियन टन CO_2 समतुल्य था। वर्ष 2014 में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.8 टन था जोकि वैश्विक औसत के एक-तिहाई से भी कम है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1850 से 2010 के बीच भारत से ऊर्जा संबंधित संचयी CO_2 का उत्सर्जन, विश्व उत्सर्जनों का मात्र 2.7% था।

(ग) से (च) जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है और इसके लिए 'साम्या' तथा 'साझा किंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांतों के आधार पर सभी राष्ट्रों का सहयोग अपेक्षित है तथा विकसित देश जलवायु संबंधी कार्रवाई में अग्रणी हैं। भारत यूएनएफसीसीसी, उसके क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) और पेरिस समझौते (पीए) का एक पक्षकार देश है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का निराकरण करने हेतु, भारत यूएनएफसीसीसी की प्रक्रियाओं के अनुसरण को सर्वोच्च प्रथामिकता देता है। उसने यूएनएफसीसीसी, उसके क्योटो प्रोटोकाल और पेरिस समझौते के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अलावा जलवायु उपशमन और अनुकूलन के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र एवं वर्धित पहलों को शुरू करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु बहुपक्षीय प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान किया है और अभी भी योगदान दे रहा है।

भारत सरकार, अपने कई कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का सामना करने के प्रति वचनबद्ध है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, जल, संधारणीय कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली को संधारणीय बनाना, संधारणीय आवास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित मिशन शामिल हैं।

पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2021-2030 के लिए आठ लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किए हैं जिनमें (i) अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना, (ii) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा कम-लागत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीयन की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली विद्युत संस्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना तथा (iii) वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना शामिल है। स्वतंत्र रूप से कराए गए अध्ययनों में भारत के प्रयासों की पेरिस समझौते के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का सर्वाधिक अनुपालन करने वाले प्रयासों के रूप में रेटिंग की गई है।

तैंतीस राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने अपनी राज्य विशिष्ट कार्रवाइयों के निष्पादन हेतु एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप अपनी-अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार कर ली हैं। इन एसएपीसीसी में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्र-विशिष्ट और अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां निर्धारित की गई हैं।

*****